

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 1984/वैशाख 10, 1906  
No. 141] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 1984/VAISAKHA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

साथ और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

[नागरिक पूर्ति विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1984

सा० का० नि० 317(अ) —मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा  
निदेशालय, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 1947 के खंड 14 के उपखंड  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,  
1955 (1955 का 10) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त बना  
हुआ है, भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं०

सा० का० नि० 908 (अ) तारीख 22 दिसम्बर, 1983 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पद टिप्पण में, “31 मार्च, 1984” श्रंकों और शब्द के स्थान पर “31 मई, 1984” श्रंक और शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 13-वी पी (3)/81]

पी एस० चीमा, मुख्य निदेशक

## MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1984

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, hereby makes the following Order further to amend the Notification of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies No. GSR 908(E), dated 22nd December, 1983, namely:—

In the said Notification, in the footnote to The Schedule, for the figures and word “31st March, 1984”, the figures and word “31st May, 1984”, shall be substituted.

[No. 13-VP (3)/81]

P. S. CHEEMA, Chief Director